न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या : 6/2019 जिला– दौसा

1. मनोहर लाल पुत्र चिरंजीलाल
2. घनश्याम पुत्र चिरंजीलाल, समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी पांचोली, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री चिरंजीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी पांचोली, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिकराय, जिला दौसा ।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा
दिनांक 14.11.2018

उपस्थित :–

1. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील अपीलार्थी
2. श्री अशोक जोशी, वकील रेस्पोंडेन्ट नं. 1 तथा
   रेस्पोंडेन्ट नं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक – 15.1.2020

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 14.11.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम पांचोली, तहसील सिकराय की आराजी खसरा नं. 31 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा के 1/2 हिस्से का सहखातेदार कजोड़या पुत्र नानगा गुर्जर था, जिसके द्वारा दिनांक 29.6.84 को अपनी 1/2 हिस्से की भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मनोहरलाल, घनश्याम पुत्र चिरंजीलाल ब्राह्ण को विक्रय कर विक्रय पत्र दिनांक 6.7.84 को निष्पादित करवादी । उक्त भूमि में से कुछ भूमि रोड़ के लिये अवाप्त हो गई थी, जिसका मुआवजा भी अपीलान्ट्स को मिला था । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ओमप्रकाश ने उक्त भूमि के संबंध में न्यायालय उपजिला कलेक्टर, सिकराय के समक्ष विवाद दायर किया था जिसके खारिज होने पर अपील भू–प्रबन्ध एव न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के यहॉ पेश की गई थी जो निर्णय दिनांक 25.2.2016 से स्वीकार हुई । राजस्व अपील अधिकारी के

उक्त निर्णय दिनांक 25.2.2016 के खिलाफ अपीलान्ट्स मनोहरलाल वगैरह द्वारा अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की है जिसमें आदेश दिनांक 26.10.2016 द्वारा भू--प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय दिनांक 25.2.2016 को स्थगन कर विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की दिनांक 26.10.2016 की स्थिति यथावत रखी गई थी । विवादित भूमि खसरा नं. 31 जिसके वर्तमान खसरा नं. 986/45 रकबा 0.29 हैक्टेयर बने हैं । न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन रहने के दौरान नामांतरकरण संख्या 133 दिनांक 19.2.2018 को पटवारी द्वारा अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम भरा गया, जिसे तहसीलदार सिकराय द्वारा दिनांक 21.2.2018 को स्वीकृत कर दिया । उक्त नामांतरकरण संख्या 31 दिनांक 21.2.2018 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.11.2018 द्वारा इस प्रकार निर्णित की गई कि "प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत नामांतरकरण सं.133 दिनांक 21.2.2018 ग्राम पांचोली, तहसील सिकराय से संबंधित राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखी जावे एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय उपरान्त तदानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे ।"

अतिरिक्त कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 14.11.18 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त कलेक्टर, दौसा दिनांक 14.11.18 व नामांतरकरण संख्या 133 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय रिकार्ड तलब किया गया । उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स ने विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई हक व हिस्सा नहीं था । रेस्पोडेन्ट्स का वाद न्यायालय उपजिला कलेक्टर, सिकराय से खारिज होने के बाद राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील कर झूंठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कराकर निर्णय दिनांक 25.2.2016 से अपील स्वीकार करा ली । वर्तमान में राजस्व अपील अधिकारी के उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट्स की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष विचाराधीन है तथा उसमें स्थगन जारी कर राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने के आदेश पारित किये हुए है। उक्त स्थगन आदेश की प्रति तहसीलदार सिकराय को उपलब्ध करवादी थी लेकिन इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ओमप्रकाश द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की नकल लेकर उपखण्ड अधिकारी, सिकराय के इजराय पेश कर दी जिस पर उपखण्ड अधिकारी सिकराय

के पत्र दिनांक 15.1.2018 द्वारा तहसीलदार सिकराय को निर्देश दिये गये कि किसी अन्य न्यायालय में स्थगन नहीं हो तो इजराय की पालना कर अवगत करावें । इस पर तहसीलदार द्वारा नामांतरकरण सं.133 दिनांक 21.2.2018 को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम तस्दीक कर दिया । उनका कहना था कि पक्षकारान के मध्य अधिकारों की घोषणा के संबंध में अपील न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन थी तथा अपील में राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 25.2.2016 की क्रियान्विति स्थगित की जाकर भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने के स्थगन आदेश पारित किये थे जिनको नजरअंदाज कर तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है जो प्रभाव शून्य है । उनका कहना था कि यदि पक्षकारों के मध्य अधिकारों की घोषणा के संबंध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो तो नामांतरकरण निरस्त कर नामांतरकरण की कार्यवाही न्यायालय के अंतिम निर्णय तक स्थगित रखनी चाहिये ताकि पक्षकारों में अनावश्यक मुकदमेंबाजी न हो । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा नामांतरकरण को निरस्त किये बिना ही प्रश्नगत नामांतरकरण से संबंधित राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया है , जो उचित एवं विधि सम्यक नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावें ।

रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 133 राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 25.2.2016 की अनुपालना में अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम तहसीलदार सिकराय द्वारा दिनांक 21.2.18 को तस्दीक किया गया है । नामांतरकरण तस्दीक की दिनांक को किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं था तथा न ही राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश प्रचलित था । उनका कहना था कि राजस्व मण्डल ने आदेश दिनांक 26.10.2016 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 25.2.2016 की क्रियान्विति स्थगित की जाकर आगामी पेशी तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम की गई थी । प्रकरण में राजस्व मण्डल के समक्ष आगामी पेशी 4.1.2017 नियत थी तथा इसके पश्चात् कोई स्थगन नहीं था । उनका कहना था कि यदि वर्तमान में किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी है तो भी नामांतरकरण को खारिज किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उनका कहना था कि पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में मा.राजस्व मण्डल से अंतिम निर्णय होने के उपरान्त ही निर्णयानुसार नामांतरकरण तय होगा । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ प्रस्तुत अपील पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2018 पारित कर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि प्रश्नगत नामांतरकरण 133 दिनांक 21.2.2018 ग्राम पांचोली तहसील सिकराय से संबंधित राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखी जावे एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय उपरान्त तदानुसार

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कार्यवाही अमल में लाई जावे । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधि सम्मत है जिसको यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में मुख्यतः विवाद राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 25.2.2016 की पालना में पक्षकारों के मध्य राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील के दौरान एवं स्थगन के बावजूद तहसीलदार सिकराय द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 133 दिनांक 21.2.2018 के संबंध में है । राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 26.10.2016 को स्थगन आदेश पारित किया गया कि "भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा को लिखा जावे कि उनके निर्णय व डिक्री दिनांक 25.2.2016 में अंकित विवादग्रस्त राजस्व आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की आदिनांक 26.10.2016 की स्थिति को मण्डल में नियत आगामी पेशी तक यथावत कायम रखा जावे । इस उमर का अहकाम अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ दस्ती जारी है । विपक्षी को स्टे के नोटिस जारी हो । पत्रावली वास्ते बहस स्टे दिनांक 4.1.2017 को पेश हो ।" ऐसी स्थिति में प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक की दिनांक 21.2.2018 को किसी न्यायालय का स्थगन होना प्रतीत नहीं होता । अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलान्ट्स की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.11.2018 द्वारा निर्णित कर नामांतरकरण से संबंधित राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती रखने एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार सिकराय को निर्देशित किया है। हम समझते हैं कि पक्षकारान के मध्य वर्तमान में अधिकारों के निर्धारण के संबंध में प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय होना है एवं राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के उपरान्त ही नामांतरकरण की कार्यवाही किया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त कलेक्टर, दौसा दिनांक 14.11.2018 में हम कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त कलेक्टर, दौसा दिनांक 14.11.2018 यथावत रखा जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर